

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2020/
प्रार्थी

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस
237

दिनांक 24-1-20

1 केसरसिंह पुत्र
बगतावरसिंह जाति राजपूत
निवासी भोमासर, उण्डखा
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 स्वरूपसिंह पुत्र सुजानसिंह 2 पदमसिंह पुत्र मंगलसिंह 3
चन्दनसिंह पुत्र शंभूसिंह 4 बलवन्तसिंह पुत्र जवरसिंह 5
जोगराजसिंह पुत्र अगरसिंह 6 सवाईसिंह पुत्र टीलसिंह 7
भूरसिंह पुत्र विजयरासिंह 8 प्रेमसिंह पुत्र टीलसिंह 9
लीलसिंह पुत्र करणीसिंह 10 उम्मेदसिंह पुत्र अगरसिंह
जाति राजपूत 11 बलवताराम 12 तुलछाराम पुत्र बगताराम
जाति सुथार निवासी भोमासर, उण्डखा तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 892/2018

दिनांक 24.1.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 545/203 रकबा 08.03 बीघा भूमि व मौजा भोमासर पटवार क्षेत्र उण्डखा
तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 149 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 150 रकबा
151.08 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 17.08 बीघा कुल रकबा 169.04 बीघा भूमि के चारों
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा
मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2020/

240-42

दिनांक- 24-1-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपरिस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. केसरसिंह पुत्र बगतावरसिंह जाति राजपूत निवासी भोमासर, उण्डखा तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी स्वरूपसिंह पुत्र सुजानसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी भोमासर, उण्डखा
तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

